

फर्दे अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपस्थित इतिहासी सिकराय

सरकार बनाम उपस्थित उपस्थित

किस्म मुकदमा दोसा मु० नं० 152 / 2012

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<u>22-12-20</u>	<p>उपरोक्त प्रमाणों के आधार पर उपर वर्क 864 दादा कि 12-1-20 य से प्रवेष्टे</p> <p style="text-align: right;"><i>Dr</i></p>	
12-12-1	<p>पञ्जावली पेशा हुई। उभय पक्ष हाथीवस्ता उपस्थित। क्लेम दादा सुनी गयी। निर्णय हेतु पञ्जावली 19-1-21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Dr</i></p>	
19-1-21	<p>पञ्जावली निर्णय हेतु पेशी में ली गयी। उभय पक्ष के तथ्यों व क्लेम पर गौर किया गया। वादी सं. 2 जलसीहं डकारा पति. सं. 3 हीमखाल के पक्ष में अपने हिले सबेदान 5-11-86 को अपलोड कर डस्तावेज डकारा किया गया जिस पर सिविल ज्यायालय डकारा डिट्री किया गया। उक्त सिविल डिट्री की अपील ADJ ज्या. में विचारधीन है तथा स्थगन है। पञ्जावली के तथ्यों अनुसार पति सं. 2 डकारा पति. सं. 3 के पक्ष में लकवाण किया जा चुका है। उभय पक्ष के क्लेमों पर उभय विभाजन ज्यायालयों में पत्रों विचारधीन होने के कारण, तय होने दोषही Cateuouts की संख्या व डिट्री तय डिट्री तय नहीं होने के कारण विभाजन वाद पोषणीय नहीं है। अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है। उभय पक्ष वादी सं. 2 व पति. सं. 3 से स्वामित्व तय होने पर पुनः विभाजन वाद लाने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय आज दि. 19-1-21 को खुले ज्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"><i>Dr</i></p> <p style="text-align: right;">(उपस्थित सिं.) उपस्थित अधिकारी सिकराय जिला-दोसा</p>	